

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आवेश

भीम

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि व समकक्ष तथा प्रधानाध्यापक-मावि स्तर के शिक्षा अधिकारी का कॉलम संख्या-3 में अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-4 में अंकित स्थान/ विद्यालय से आहरित किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। सम्बन्धित शिक्षा अधिकारी द्वारा यदि कॉलम संख्या-3 में वर्णित अवधि के दौरान किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया है, तो अवकाश स्वीकृति एवं उपस्थिति की पूर्ण जांच किये बिना, कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जावे।

क्र.सं	कार्मिक का नाम मय पदनाम व पदस्थापन स्थान (सर्व श्री/श्रीमती)	अवधि	स्थान/विद्यालय का नाम जहां से वेतन आहरित किया जाना है
I	II	III	IV
1	कचनमाला प्रधानाचार्य राउमावि अंगारी, थानागाजी, अलवर	जनवरी 2021	राउमावि राजौरगढ, राजगढ, अलवर।
2	विजय सिंह जानू सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य राउमावि गागियासर, झुंझुनू।	मार्च 2020 का आस्थगित वेतन	राउमावि तातवास, खीवसर, नागौर।
3	ओमप्रकाश प्रधानाचार्य राउमावि रसगण, मुण्डावर, अलवर	फरवरी 2021	राउमावि बासंखेही मेवातियान, झालावाड।
4	सुनीता प्रधानाचार्य श्रीमती उत्तमदेयी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोबनेर, जयपुर।	1 जनवरी 2020 से 10 जून 2020	राउमावि धनोप, शाहपुरा, भीलवाडा।
5	विजय लक्ष्मी शर्मा प्रधानाचार्य राउमावि बरसी, जयपुर।	जनवरी 2021	राउमावि चुई, डेगाना, नागौर
6	पुष्पा मिश्रा प्रधानाचार्य राउमावि दादिया, सांगानेर, जयपुर	फरवरी 2021 से जून 2021	राउमावि लांगच, कपासन, चित्तौडगढ

वेतन आहरण से पूर्व विभागीय परिपत्र क्रमांक शिविरा/मा/बजट/बी-4/25577/2020-21 /226 दिनांक 26.11.2020 में प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावे।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/बी-1,2/प्रधाना.व प्र.अ./वेतन व्यवस्था/2021/281 दिनांक:-10.08.2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)राजस्थान सरकार जयपुर
- 2 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 3 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, ।
- 4 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
- 5 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा ।
- 6 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 7 सम्बन्धित कार्मिक /संस्था प्रधान को पालनार्थ।
- 8 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)